FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0152 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/07/2024 13:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(c)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(d)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
5	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(a)
6	भा दं सं 1860	409
7	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/01/2003 **Date To (दिनांक तक):** 06/06/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:01 बजे **Time To (समय तक):** 11:18 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/07/2024 **Time (समय):** 12:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/07/2024 13:20:43 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 450 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** UDAIPUR

[redacted]

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): PINKI SRIMALI

(b) Husband's Name (पति का नाम): HEMANT SRIMALI

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1976

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue
(जारी करने की तिथि):

Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	LOSING, बडगांव , UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	LOSING, बडगांव , UDAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEVI SINGH RATHORE		पिता:PRATAP SINGH	1. LAKHAWALI,UDAIPUR,RAJAST
2	NARESH KUMAR NAGARACHI		पिता:PREM LAL NAGARCHI	1. TALAI KE PAS,ISWAL,बडगांव , UDAIPUR,RAJASTHAN,INDIA
3	KEDAR PRASAD VAISHNAV		पिता:GANPAT LAL VAISHNAV	1. WARD NO.40,SAWATSAR,AJMER,RAJ

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		7,66,080.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 7,66,080.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, वाकियात मामला इस प्रकार निवेदन है कि उपायुक्त एवं शासन उप सचिव प्रथम (जांच) पंचायती राज विभाग राज. जयपुर के पत्रांक 105दिनांक 16.01.23 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर के आदेश क्रमांक 167 दिनांक 15.02.23 से तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायती लखावली पंचायत समिति बडगांव जिला उदयपुर एवं अन्य के द्वारा जारी पट्टो के आवंटन के सम्बन्ध मे की गई अनियमितताओ के संबध मे एक जांच कमेटी गठित की गई थी, जिसमे श्री छोगालाल सुथार सहायक लेखाधिऻकारी पचायत समिति सायरा, श्री ग्यारसीलाल शर्मा अतिरिक्त विकास अधिकारी जिला परिषद उदयपुर एवं श्री सुरेशचन्द्र खटीक अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति बडगांव नियुक्त किये गऐ। जांच कमेटी के द्वारा ग्राम पंचायत लखावली से श्री देवीसिह राठौड तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत लखावली द्वारा अपने परिवारजनो के नाम जारी पटटो के संबध मे श्री नरेश नगांरची ग्राम विकास अधिकारी पंचायत लखावली के द्वारा निम्नाकिंत रिकॉर्ड प्रस्तुत किये। (अ) श्री देवीसिह राठौड द्वारा अपने परिवारजनों के नाम जारी पटटो की सत्यप्रतिलिपि के अनुसार 1-श्री महेन्द्र सिह पुत्र श्री देवीसिह राठौड पट्टा संख्या 92 दिनांक 05.10.2003 2- श्री महेन्द्र सिह पुत्र श्री देवीसिह राठौड पट्टा संख्या 93 दिनांक 05.10.2003 3- श्रीमती सीता कुंवर पत्नी श्री देवीसिह राठौड पट्टा संख्या 94 दिनांक 05.10.2003 4- श्रीमती सीता कुंवर पत्नी श्री देवीसिह राठौड पट्टा संख्या 95 दिनांक 05.10.2003 5- सुश्री श्याम कुंवर राठौड पुत्री श्री देवीसिह राठौड पट्टा संख्या 96 दिनांक 05.10.2003 6- सुश्री श्याम कुंवर राठौड पुत्री श्री देवीसिह राठौड पट्टा संख्या 97 दिनांक 05.10.2003 (ब) वर्ष 2003-2004 के स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग उदयपुर के प्रतिवेदन मे पट्टो के सम्बध मे गठित आक्षेप की सत्य प्रतिलीपि । (स) वर्ष 2003-2004 की बैठक कार्यवाही रजिस्टर की पृष्ट संख्या 12,13,14,15,18,19 की सत्य प्रतिलीपि । (द) वर्ष 2019-20 बैठक कार्यवाही रजिस्टर की पृष्ठ संख्या 08,09 एवं नवीनीकरण की पत्रांवलिया 06 की सत्य प्रतिलिपी । (य) रोकड पुस्तिका वर्ष 2018-2019 के पृष्ट संख्या 16,17,18 मे ऑडिट अनुपालना मे वसूली गई राशि का विवरण। (र) रोकड पुस्तिका वर्ष 19-20 के पृष्ट संख्या 44,45 मे नवीनीकरण एवं ऑडिट अनुपालना मे वसूली गई राशि का विवरण । जांच कमेटी को उक्त पट्टो के सम्बध में पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकॉर्ड/दस्तावेज अनुसार श्री देवीसिह राठौड पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत लखावली द्वारा अपने परिवारजन के नाम उपरोक्तानुसार पटटे जारी किया जाना पाया गया । इन जारी पटटो मे श्री देवीसिह राठौड की पत्नी , पुत्र व पुत्री की उम्र के प्रमाण हेतु श्री देवीसिह राठौड से जांच कमेटी के सदस्यो ने दिनांक 08.08.2023 को ग्राम पंचायत लखावली के ग्राम विकास अधिकारी श्री नरेश नगारची (सांखला) के साथ उनके घर पर दस्तावेज प्राप्ति हेतु गये थे, जिस पर श्री देवीसिह राठौड घर पर उपस्थित मिलने के उपरान्त भी श्री देवीसिह के द्वारा वांछित दस्तावेज उपलब्ध नही करवाये गये । तत्पश्चात ग्राम विकास अधिकारी को उक्त पट्टो में श्री देवीसिह राठौड के परिवारजनो के उम्र से सम्बधि दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु जांच कमेटी के द्वारा निर्देशित किया गया था, परन्तु जांच के दौरान जांच कमेटी को दस्तावेज उपलब्ध नही कराये गये। जांच कमेटी के द्वारा जांच के दौरान कार्यालय उप पंजीयक बडगांव के पत्रांक 165 दिनांक 10.08.2023 से प्राप्त विक्रय विलेख दस्तावेजो मे दिनांक 10.01.2020 मे श्री महेन्द्र सिंह व सुश्री श्याम कुंवर की उम्र के सम्बन्ध में दर्ज उम्र क्रमशः 32 वर्ष व 34 वर्ष दर्शायी गयी है। जिसके आधार पर वर्ष 2003 मे पुत्र एवं पुत्री का अवयस्क होना जांच रिपोर्ट मे अंकित किया है। उक्त उल्लेखित पट्टो के पृष्ठकान भाग पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच श्री देवीसिह राठौड ग्राम पंचायत लखावली एवं ग्राम सेवक पदेन सचिव श्री नारायण सिह सक्सेना के संयुक्त हस्ताक्षर अंकित है, किन्तु जांच कमेटी के द्वारा श्री नारायण सिह

सक्सेना के लिखित बयान भी लिये गये , अपने बयानो में उपरोक्त पटटो की कोई जानकारी नही होना बताया गया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट से यह भी पाया गया कि वर्ष 2003-04 के, अंकक्षेण प्रतिवेदन मे पट्टो के सम्बध में आक्षेप संख्या 13 (क) यह स्पष्ट अंकित किया है कि उक्त पट्टो से संबधित रिकॉर्ड/दस्तावेज अंकक्षेण कमेटी के सक्षम प्रस्तुत ही नही किये गये तथा रोकड पुस्तिका मे इन पट्टो की राशि भी जमा होना नही पाया गया है। वर्ष 2003-04 की बैठक कार्यवाही रजिस्टर की पृष्ट संख्या 12,13,14,15,18,19 से यह स्पष्ट है कि दिनांक 25.04.2003 एवं 26.05.2003 को बैठको का आयोजन तत्कालीन सरपंच श्री देवीसिह राठौड की अध्यक्षता में किया गया तथा उक्त उल्लेखित पट्टो के सम्बध मे ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.4.2003 को आयोजित बैठक कार्यवाही रजिस्टर के पृष्ठ 15 पर प्रस्ताव संख्या 11 अनुसार आराजी संख्या 3488 मे 30 व्यक्तियो द्वारा ग्राम पंचायत मे आवेदन करना पाया गया । जिसमे क्रम संख्या 28 पर श्याम कुंवर,29 पर सीता कंवर एवं 30 पर महेन्द्र सिह नाम अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.05.2003 को आयोजित बैठक कार्यवाही रजिस्टर. के पृष्ठ संख्या 19 पर प्रस्ताव संख्या 06 अनुसार 25 व्यक्तियो को पट्टे जारी करने का निर्णय किया गया जिसमें क्रम सख्ंया 23 पर श्याम कुंवर 24, पर सीता कुंवर एवं 25 पर श्री महेन्द्र सिंह नाम अंकित है। वर्ष 2019-20 मे आयोजित बैठक कार्यवाही रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 08,09 दिनांक 05.12.2019 के प्रस्ताव संख्या 03 अनुसार पुराने पट्टो के नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव लिया गया जिसमे उक्त उल्लेखित पट्टो का भी नवीनीकरण का निर्णय लिया गया । जांच कमेटी के द्वारा नवीनीकरण की पत्रावलियो के अवलोकन से यह तथ्य पाये गये कि उक्त उल्लेखित पट्टो के नवीनीकरण की पत्रावलियां दिनांक 07.10.2019 को दर्ज की गयी तथा दिनांक 05.12.2019 को प्रस्ताव संख्या 03 के निर्णय अनुसार नवीनीकरण किये गये। रोकड पुस्तिका वर्ष 2019-20 के पृष्ठ संख्या 44,45 पर विकास व नवीनीकरण शुल्क राशि रूपये 200/-रसीद क्रमांक 37,38 एवं 39 क्रमशः महेन्द्र सिह, सीता कुंवर, श्याम कुंवर से जमा किये गये जबकी ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.12.2019 को प्रस्ताव संख्या 03 महेन्द्र सिह मिशल संख्या 92,93 ,सीता कुवर मिशल संख्या 94 एव 95 श्याम कुवर मिशल संख्या 96 व 97 के नवीनीकरण करने का निर्णय लिया गया । जांच कमेटी के द्वारा जांच के दौरान कार्यालय उप पंजीयक उदयपुर प्रथम के पत्रांक 419 दिनांक 14.08.2023 से प्राप्त दस्तावेजो अनुसार श्री महेन्द्र सिह, सीता कुंवर, एवं सुश्री श्याम कुंवर राठौड के नाम जारी पट्टो का पंजीयन श्री नरेश सांखला (नंगारची) ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लखावली एवं तारा गमेती सरपंच ग्राम पंचायत लखावली द्वारा उप पंजीयक (प्रथम) उदयपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 05-12-2019 के आधार पर किया गया । उल्लेखित पट्टो की रजिस्ट्री के संबंध में विवरण निम्नानुसार हैः- 1. पट्टा धारक श्री महेन्द्र सिह पुत्र श्री देवीसिह राठौड निवासी लखावली उदयपुर से श्री कौशल किशोर वैष्णव पुत्र श्री अर्जुन वैष्णव निवासी पुरानी आबादी माण्डगढ भीलवाडा द्वारा क्रय किया गया जिसके पेटे बैंक ऑफ बडौदा माण्डगढ चेक नम्बर 000001 दिनांक 10.01.2020 से राशि 1,70,000 रूपये का भुगतान किया गया। 2. पट्टा धारक श्री महेन्द्र सिह पुत्र श्री देवीसिह राठौड निवासी लखावली उदयपुर से श्री अर्जुनदास वैष्णव पुत्र श्री बालूदास वैष्णव निवासी पुरानी आबादी माण्डगढ भीलवाडा द्वारा क्रय किया गया जिसके पेटे बैंक ऑफ बडौदा माण्डगढ चेक नम्बर 000002 दिनांक 10.01.2020 से राशि 1,70,000 रूपये का भुगतान किया गया। 3. पट्टा धारक सुश्री श्याम कुंवर राठौड पुत्री श्री देवीसिह से सुश्री शिवांगी वैष्णव पुत्री श्री केदार प्रसाद वैष्णव निवासी वार्ड नम्बर 45 मैन रोड सावतसर किशनगढ अजमेर द्वारा क्रय किया गया जिसके पेटे एस.डी. एफ.सी सुखेर चेक संख्या 000001 दिनांक 10.01.2020 से राशि 1,70,000 रूपये का भुगतान किया गया। 4.पट्टा धारक सुश्री श्याम कुंवर राठौड पुत्री श्री देवीसिह से श्री यश वैष्णव पुत्र श्री केदार प्रसाद वैष्णव निवासी वार्ड नम्बर 45 मैन रोड सावतसर किशनगढ अजमेर द्वारा क्रय किया गया जिसके पेटे एस.डी.एफ.सी सुखेर चेक संख्या 000001 दिनांक 10.01.2020 से राशि 1,70,000 रूपये का भुगतान किया गया। उक्त के क्रम संख्या 3 व 4 मे क्रेतागण तत्कालीन विकास अधिकारी श्री केदार प्रसाद वैष्णव के पुत्री एव पुत्र है तथा श्री केदार प्रसाद वैष्णव के मौखिक कथन अनुसार क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित क्रेतागण उनके रिश्तेदार है। श्री केदार प्रसाद वैष्णव तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति बडगांव के परिवारजनो/रिश्तेदारो द्वारा डी. एलसी दरो से न्यून दरो पर उक्त अनियमित जारी पट्टो को क्रय किया जाना जांच कमेटी के द्वारा पाया गया है, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 168 (2) के अनुसार पंचायत समिति के विकास अधिकारी को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पट्टा बही की एक प्रति अग्रेषित करनी होती है, विकास अधिकारी एक नियंत्रण रजिस्टर रखेगा जिसमे ऐसे प्राप्त की गयी पट्टा बही की प्रति के आधार पर माह के दौरान ऐसी पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टो की संख्या के साथ साथ माह और वर्ष उपदर्शित करते हुऐ पंचायतवार लेजर रखा जाना अनिवार्य होता है। विकास अधिकारी सत्यापन के प्रमाण के रूप में ऐसी प्रविष्टि पर हस्ताक्षर करेगा ताकि पिछली तारीखो मे पट्टे जारी करने को रोका जा सके। इस प्रकार विकास अधिकारी द्वारा अपने पदेही कृत्यो का निर्वहन नही किया गया। श्री केदार प्रसाद वैष्णव पंचायत समिति बडगांव मे विकास अधिकारी के पद पर दिनांक 20.06.2018 से 20.06.2020 तक एवं दिनांक 19.02.2021 से 30.09.2021 तक पदस्थापित रहे है। तहसीलदार बडगांव के पत्रांक 745 दिनांक 09.06.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम लखावली के आरजी 3488 किस्म आबादी नगर विकास प्रन्यास उदयपुर बिलानाम से हिस्सा पूर्ण संस्था के लिये राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है मौके पर आराजी संख्या 3488 मे 3-4 मकान बने हुए है तथा शेष भूमि खाली पडी हुई है। जांच कमेटी के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष में अंकित किया है कि श्री देवी सिह राठौड तत्कालीन सरपंच ग्राम

पंचायत लखावली द्वारा आराजी नम्बर 3488 मे पट्टे अनियमित रूप से जारी किया जाना पाया गया है। तहसीलदार बडगांव से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त पट्टो से सम्बधित भूमि वर्तमान मे नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज होना पाया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत लखावली के तत्कालीन सरपंच एवं ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा कुल 25 व्यक्तियों को पट्टा आबादी भूमि का विक्रय विलेख नियम 167 (1) के तहत 2280 रूपये प्राप्त कर पट्टा जारी किया गया है जबकि पंचायत राज में आबादी भूमि का विक्रय विलेख के पट्टे जारी करने में नीलामी द्वारा जारी किया जाना चाहिये और नीलामी में डी. एल.सी. रेट की कम दर पर भूखण्ड का पट्टा आवंटित नहीं किये जाना चाहिये थे। इस प्रकार श्री देवीसिंह राठौड तत्कालीन सरपंच एवं तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा आपसी मिलीभगत कर षडयंत्र पूर्वक राज सरकार को हानि एवं स्वयं को लाभ प्राप्त करने के उद्वेश्य से तत्कालीन सरपंच श्री देवीसिंह द्वारा अपने पुत्र श्री महेन्द्र सिह राठौड, पुत्री सुश्री श्याम कुंवर राठौड के नाम से दो-दो पट्टे एवं अपनी पत्नी श्रीमती सीता कुंवर के नाम से भी दो पट्टे, कुल 6 पट्टे जारी किये गये हैं, जबकि श्री देवीसिंह तत्कालीन सरपंच के पुत्र व पुत्री तत्समय नाबालिग थे। इस प्रकार जो पट्टे जारी किये गये वह अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर राज्य सरकार को हानि एवं स्वयं को अनुचित रूप से लाभ प्राप्त करने की नियत से किये जाना पाया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आबादी भूमि के पट्टे तत्समय वर्ष 2002 में प्रचलित डीएलसी दर 55 रूपये प्रति वर्गफिट के हिसाब से प्रत्येक पटटे के 1,25,400 रूपये के हिसाब से कुल 6 पटटो के 7,52,400 रूपये राजकोष में जमा कराये जाने चाहिए थे, लेकिन देवीसिंह राठौड तत्कालीन सरपंच द्वारा प्रत्येक पट्टे के नाम से 2280 रूपये के हिसाब से कुल 13680 रूपये ही प्राप्त करना बताया हैं। उक्त राशि 13680 रूपये भी ग्राम पंचायत लखावली के कोष में जमा नही करा कर गबन करना पाया गया है। इस प्रकार 7,52,400 13680 7,66,080 रूपये का आर्थिक लाभ स्वंय श्री देवीसिंह राठोड के द्वारा प्राप्त करना तथा इतनी ही राशि का आर्थिक नुकसान राज सरकार को पहुचाया जाना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित है। इस प्रकार पाया गया कि ग्राम पंचायत लखावली के तत्कालीन सरपंच श्री देवीसिंह राठोड, श्री नरेश नंगारची तत्कालीन कनिष्ठ सहायक (अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत लखावली एवं श्री केदार प्रसाद वैष्णव तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति बडगाव जिला उदयपुर द्वारा अपने-अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर आपसी मिलीभगत कर षडयंत्र रचकर नियम विरूद्व अवैध पट्टे श्री देवीसिंह सरंपच के द्वारा अपने नाबालिग पुत्र, पुत्री एवं अपनी पत्नी के नाम दिनांक 05.10.2003 को जारी किये गये। तत्पश्चात उक्त पट्टो का श्रीमति तारा गमेती सरपंच ग्राम पचायत लखावली एवं श्री नरेश नंगारची तत्कालनी कनिष्ठ सहायक (अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत लखावली के द्वारा अपने ग्राम पंचायत कार्यालय पत्र दिनांक 05.12.2019 से उक्त 6 पट्टो का पंजीयन कराने हेतु उप पंजीयक उदयपुर को प्रेषित करने पर उप पंजीयक प्रथम उदयपुर के द्वारा दिनांक 30.12.2019 को पंजीयन किये गए है। जांच कमेटी को जांच के दौरान उप पंजीयक कार्यालय बडगाव से प्राप्त सुचना के अनुसार पाया गया कि सुश्री श्याम कवंर, श्री महेन्द्र सिंह, पुत्र श्री देवीसिंह राठोड के नाम दो-दो पट्टे कुल 4 पट्टे दिनांक 10.01.2020 को तत्कालीन विकास अधिकारी श्री कैदार प्रसाद वैष्णव के पुत्र, पुत्री एवं रिश्तेदार के नाम विक्रय हुए है। तथा शेष 2 पट्टे जो श्रीमति सीता कवर पत्नी श्री देवीसिंह राठोड के नाम पर थे उनके दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय बडगाव में उपलब्ध नही होना पाया गया है। इस प्रकार तत्कालीन विकास अधिकारी श्री केदार प्रसाद वैष्णव द्वारा बिना जांच किये ही अपने विश्वस्त कर्मी श्री नरेश नंगारची तत्कालीन कनिष्ठ सहायक (अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत लखावली से मिलीभगत कर उपरोक्त भूखण्ड क्रय किये गये है। जांच कमेटी की रिपोर्ट से पाया गया कि श्री केदार प्रसाद वैष्णव तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति बडगांव जिला उदयपुर द्वारा प्रष्नगत भुखण्ड के जारी पट्टे के रजिस्ट्री के गवाह श्री देवेन्द्र जैन को पंचायत समिति बडगांव की दो दुकाने नियम विरूद्व आंवटित की गई तथा प्रष्नगत भुखण्ड पर निर्मित किये गये आवास तक जाने हेतु मौके पर सीसी रोड का निर्माण राज्य वित्त आयोग पंचम जिला परिषद् के वित्तीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 43 दिनांक 27.08.2021 राशि 5.00 लाख जारी की गयी है जिसका समायोजन किया जाना शेष है एवं श्री कैदार प्रसाद वैष्णव के लखावली स्थित आवास तक पाइर्प लाईन डाली गई है, इस प्रकार श्री केदार प्रसाद वैष्णव तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति बडगांव जिला उदयपुर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर रजिस्ट्री के गवाह श्री देवेन्द्र जैन के पक्ष में दो दुकान का आंवटन पत्र जारी करना, सीसी रोड निर्माण एवं पाईप लाईन डलवाना जाना स्पष्ट हुआ है। प्रकरण पंजीबद्व होने के पश्चात अनुसंधान से ही यह प्रमाणित होगा कि श्रीमती तारा गमेती तत्कालीन सरपंच एवं श्री नारायण सिंह सक्सेना तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत लखावली पंचायत समिति बंडगाव जिला उदयपुर के द्वारा किस प्रकार अपने-अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर अपराध कारित किया है। आरोपीगण श्री देवीसिंह तत्कालीन सरंपच, श्री नरेश नंगारची तत्कालीन कनिष्ठ सहायक (अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत लखावली पंचायत समिति बंडगाव जिला उदयपुर, श्री केदार प्रसाद वैष्णव तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति बडगाव जिला उदयपुर के विरूद्व 17ए की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी है। अतः श्री देवीसिंह तत्कालीन सरंपच, श्री नरेश नंगारची तत्कालीन कनिष्ठ सहायक (अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत लखावली पंचायत समिति बंडगाव जिला उदयपुर, श्री केदार प्रसाद वैष्णव तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति बडगाव जिला उदयपुर एवं अन्य के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 7,13(1)(सी)(डी) सपठित धारा 13 (2) पीसी एक्ट 1988 एवं 13 (1) (A) सपठित धारा 13 (2) पीसी

एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 409, 120बी भा.द.स. के अन्तर्गत ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्व कराने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। भवदीय, (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर .. ..कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,13(1)(सी)(डी) सपठित धारा 13 (2) पीसी एक्ट 1988 एवं 13 (1) (ए) सपठित धारा 13 (2) पीसी एक्ट 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 409,120बी भा.द.स . - में आरोपी 1. श्री देवीसिंह राठौड़ पुत्र प्रताप सिह तत्कालीन सरंपच, ग्राम पंचायत लखावली पंचायत समिति बडगांव जिला उदयपुर 2. श्री नरेश कुमार नंगारची पुत्र प्रेम लाल नगारची ग्राम पोस्ट ईस्वाल तहसील बड़गाव जिला उदयपुर तत्कालीन कनिष्ठ सहायक (अतिरिक्त चार्ज ग्राम विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत लखावली पंचायत समिति बडगांव जिला उदयपुर 3. डा0 केदार प्रसाद वैष्णव पुत्र गणपत लाल वैष्णव वार्ड न0 40 सॉवतसर किशनगढ अजमेंर तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति बडगांव जिला उदयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री राजीव जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस0यू0 उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 136 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 794-99 दिनांक 26.07.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर। 3 प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विभाग राजस्थान जयपुर। 4 शासन सचिव पंचायतीराज विभाग जयपुर। 5 उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर। 6 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJEEV JOSHI **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/07/2024 14:

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया)).

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	05/02/1965				
2	Male	05/02/1986				
3	Male	31/03/1972				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)